66

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
नीर भवन, छत्तीसगढ़ रायपुर — 492001

क्रमांक /तशा/प्र.अ./लोस्वायांवि/10 रायपुर, दिनांक /06/2010

प्रति,

मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र बिलासपुर/रायपुर।

विषयः— जलप्रदाय योजनाओं में पंपिंग मेन तथा जलवितरण पाईप लाईन के लिये बनाये जा रहे प्राक्कलन के संबंध में।

—00—

विभाग में जलप्रदाय योजनाओं में पंपिंगमेन एवं जलवितरण पाईप लाईन के प्राक्कलन मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा वाटर सप्लाई एवं सीवरेज पाईप लाईन के लिए दिनांक 01 सितम्बर 2002 से जारी एस.ओ.आर. जो छत्तीसगढ़ में भी अक्टूबर 2004 से लागू किया गया है, के आधार पर तैयार किये जा रहे है। प्रचलित लागत के अनुमान के लिए प्राक्कलन के अंत में निविदा प्रतिशत भी जोड़ा जाता है।

निर्देशित किया जाता है कि जिन सामग्रियों का दर अनुबंध सी.एस.आई.डी.सी. अथवा डी.जी.एस.एण्ड डी. में उपलब्ध है उन सामग्रियों का दर अनुबंध के शर्तों तथा एस.ओ.आर. के स्पेसीफिकेशन के आधार पर विस्तृत विश्लेषण किया जावे। विस्तृत विश्लेषण के आधार पर नियमानुसार प्राक्कलन के अंत में जोड़े जाने वाले प्रतिशत का निर्धारण किया जावे। योजनाओं की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व दर विश्लेषण का विशेष ध्यान दिया जावे। तत्संबध मे नियमानुसार परीक्षण उपरांत ही सावधानीपूर्वक कार्यवाही की जाए।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छ.ग. रायपुर

पृ0 क्रमांक 3809/तशा/प्र.अ./लोस्वायांवि/10 रायपुर, दिनांक 8/6/2010

प्रतिलिपिः—

01. सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वा.यां. विभाग ,मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधीक्षण अभियंता,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल रायपुर/दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जलप्रदाय योजनाओं के प्राक्कलन तैयार करते समय उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।
03. कार्यपालन अभियंता,लो.स्वा.यां. खण्ड/परि. खण्ड ____________ की ओर सूचनार्थ प्रेषित। जलप्रदाय योजनाओं के प्राक्कलन तैयार करते समय उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
छ.ग. रायपुर

शरू?ब्क?्पद.ब्लेचण्कवब